न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल भोपाल

अपील प्रकरण कमांक——/2016

अपील -1094-PBR-16

(74)

मंजु अग्रवाल आयु वयस्क
पुत्रीस्व0 श्री राजमल अग्रवाल
निवासी 2/8, शिरिन काम्पलेक्स,
कोहेफिजा, भोपाल म0प्र0 ....अपीलार्थी

विरूद्ध

म0प्र0 शासन 1/3/16
द्वारा उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय, भोपाल ....रेस्पांडेंट

— अपील अन्तर्गत धारा 47(क)(5) स्टाम्प अधिनियम ~~44-2 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959~~ —

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायलय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग ~~सीमा~~ भोपाल के द्वारा प्रकरण कमांक 812/अपील/2012—13 मंजु अग्रवाल विरूद्ध म0प्र0 शासन द्वारा उप पंजीयक में पारित आदेश दिनांक 28—04—2015 जिसके द्वारा अपीलार्थी की अपील धारा 5 समयावधि विधान के आवेदन निरस्त किया गया से दुःखी एवं त्रस्त होकर यह अपील निम्न तथ्यों आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :—

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील. 1094–पीबीआर / 2016 **जिला भोपाल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–04–2016	अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–4–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 1–3–2016 से लगभग 10 माह से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा जानकारी नहीं देना दर्शाया गया है, जो कि समाधानकारक कारण नहीं है । अतः यह अपील प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	